का पेश हो।

29.01.2021 आज यह फरावली वादी द्वारा जरिये वकील उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र का निवेदन किया कि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पंचायती समझौता हो चुका है इसलिए वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं वादी के अधिवक्ता को सुरक्षित रखते हुए विड्रा करने की अनुमति चाहने पर प्रार्थी में ली गयी

फरावली का अवलोकन किया गया वादी/प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है फरावली को इसी स्तर पर वादी के अधिवक्ता को सुरक्षित रखते हुए विड्रा करने की अनुमति दी जाती है फरावली में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जाती है फरावली के साथ शुल्क होकर प्राविल प्रस्तुत हो।

आदेश सुनाया गया।

Pujika
उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर

पूर्ण राम

29/1/2021